



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

ई-मेल/Mail : registrar.mgahv@gmail.com

क्रमांक: 006/स्था/का./2020/07/523

दिनांक: 06/08/2020

परिपत्र

समस्त शैक्षिक एवं शिक्षकेत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि सेवावधि के दौरान अपनी अकादमिक योग्यता में वृद्धि हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पहले सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत उल्लिखित अवधि में अध्ययन करने पर ही कर्मी द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्व-सत्यापित प्रमाणपत्र के आधार पर कर्मी के सेवा अभिलेख में संबंधित विवरण दर्ज किया जाएगा। इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत जारी किया जाता है।

कादर नवाज

(कादर नवाज खान)

कार्यकारी कुलसचिव

06/08/2020

प्रतिलिपि -

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय (द्वय)
3. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी/अकादमिक निदेशक
4. कुलसचिव कार्यालय
5. वित्त विभाग
6. लीला, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. रक्षित पत्रावली